कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर

क्रमांक/स्था/अराज/2021 / 4370 जबलपुर दिनांक 18/05/2021

//विज्ञप्ति सूचना//

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-06/2018/1-55 भोपाल दिनांक 07.04.2018 द्वारा नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सा सेवा आदर्श सेवा नियम 2018 एवं संचालनालय चिकित्सा म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 122-27/स्था/अराज/2020 भोपाल दिनांक 17/09/2020 द्वारा प्राप्त परिचारिक संवर्ग की अनुसूचियों के आधार पर नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर से संबद्ध चिकित्सालयों में रिक्त स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर अभ्यार्थियों के आवेदन प्राप्त कर भर्ती परीक्षा के आधार पर प्रवीण्य सूची एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से तैयार की जानी है। इस हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आंमत्रित किये जाते हैं।

स्टाफ नर्स के पदों पर आवेदन का प्रारूप एम.पी. ऑनलाईन की वेबसाईट:- www.mponline.gov.in पर ऑनलाईन उपलब्ध रहेगा तथा आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 15/06/2021 समय रात्रि 12:00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकेंगे।

1. पदनाम:- स्टाफ नर्स (केवल महिला के लिए)

रिक्त पदों की संख्या:- 254

(मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध चिकित्सालय 227 पद + बर्न यूनिट 10 पद+ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन 17 पद)

स.क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		दिव्यांग		योग	रिमार्क
		पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला		
1	अनारक्षित	00	40	00	05	00	03	48	निरंक
2	अनुसूचित जाति	00	37	00	04	00	03	44	
3	अनुसूचित जनजाति	00	56	00	07	00	04	67	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	00	58	00	07	00	04	69	
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	21	00	03	00	02	26	
योग:-		00	212	00	26	00	16	254	

2. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-

स्टाफ नर्स	1. अभ्यार्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीवन विज्ञान के साथ (10+2) शिक्षा पद्धति से 12वीं परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से बी.एस.सी. (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशीक्षित। 3. मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल में जीवित पंजीयन।

3. वेतनमान एवं अन्य भत्ते:-

पद का नाम	वेतनमान
स्टाफ नर्स	28700/- (लेवल-7)

Scanned by CamScanner

4. आरक्षण:-

1. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल और क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिये आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।

3. उक्त पदों हेतु जातिगत आरक्षण केवल ऐसे अभ्यार्थियों पर लागू होगा, जिनका जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश के राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हो।

4. सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना क्रमांक 26 दिनांक 19 जनवरी 2015 के अनुसार दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु क्षैतिज आरक्षण लागू होगा।

5. विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों को मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी विकलांगता प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता प्रतिशत स्पष्ट दर्शाया गया हो; प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अस्थि बाधित	अस्थि बाधित (45% to 50%) शरीर के निचले हिस्से की विकलांगता मान्य है।

6. उक्त पदों में भूतपर्व सैनिकों के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. एफ-9-3/2012आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 22 सितंबर 2012 के अनुसार देय रहेगा।

7. उक्त पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार रहेगा। आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।

5. आयु सीमा:-

1. अनारक्षित वर्ग/ ई.डब्ल्यू.एस./ हेतु -न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष
2. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ शासकीय/निगम /मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/नि:शक्तजन /महिलाओं(अनारक्षित/आरक्षित) आदि हेतु - न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)

नोट:- आयु की गणना 01 जनवरी 2021 के आधार पर की जावेगी।

6. सामान्य शर्तें:-

1.. उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

2. नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर द्वारा आवश्यकता अनुसार उक्त पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

3. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं एवं विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम अर्हता एवं आयु सीमा संबंधी सभी मापदंडों का पूर्ण करते हो उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई बिचार नहीं किया जावेगा।

4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें म.प्र. शासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करना होगा।

5. उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनविार्य है एवं नियुक्ति के समय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

6. अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस, मेडिकल कॉलेज जबलपुर किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण विज्ञप्ति या भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में महाविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी।

Scanned by CamScanner

7. चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

8. नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में मान्य होगा।

9. ऐसे आवेदक जिनको दिनांक 26.01.2001 तथा उसके बाद तृतीय बच्चे का जन्म हुआ है, चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

10. वैवाहिक स्थिति- एक से अधिक विवाह किये गये उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे अगर प्रथम विवाह से विच्छेद न हुआ हो अथवा मृत्यु न हुई हो।

11. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाई अनुसार बंधनकारी होंगी।

12. चयन सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जायेगा। अर्थात अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के ऊपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने के स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी जिन्होंने आवेदन किये पद हेतु निर्धारति आवश्यकत न्यूनतम अर्हता में अधिक अंक प्राप्त किये हैं। ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनों स्थितियों में एक से अधिक आवेदक के लिए समान हो तो कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।

13. चयनित अभ्यार्थियों को नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3/2019/13-3.एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019में निहित निर्देशानुसार 03वर्ष की परिवीक्षा अवधि में वेतनमान का प्रथम वर्ष 70प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में प्रदान करते हुए की जावेगी।

14. स्टाफ नर्स के पद हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक विज्ञापन का गहन अध्ययन कर लेवें।

8. सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र:-

स्टाफ नर्स को न्यूनतम 03 वर्ष की सेवाएं देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पदति करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि इस नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया राशि की भांति वसूली योग्य होगी।

09. निर्हतायें :-

निम्नलिखित मामलों में उल्लंघन करने वाले आवेदनों का अभियोजन किया जा सकेगा और या चयन के लिए उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और या तो उसे स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा:-

1. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तत किये हों जिनमें फेरबदल किया गया हो या
2. चयन के किसी भी स्तर पर भर्ती हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो या
3. भर्ती के लिये काई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो या
4. आवेदकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से काई हो:-

अ. जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाए गए।

ब. महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध नहीं पाए गए।

स. जिसकी दो से अधिक संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि संतान से जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।

5. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

10. आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों के लिये निम्नलिखित प्रमाण पत्र आवश्यक है:-

1. निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
2. निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र तथा अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग में गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र।

Scanned by CamScanner

11. स्टाफ नर्स के पद पर आवेदन संबंधी समय तालिका:-

क्रमांक	गतिविधि	तारीख
1	ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	27/05/2021
2	ऑनलाईन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	15/06/2021
3	आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु प्रारंभ तिथि	13/06/2021
4	ओवदन में त्रुटि सुधार हेतु अंतिम तिथि	16/06/2021
5	परीक्षा तिथि	03/07/2021

उपरोक्त तिथियां नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित की सकती हैं। एम.पी.ऑनलाईन तथा नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की वेबसाईट का समय-समय पर अवलोकन करते रहें। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरने व निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् उसके द्वारा की गई कोई त्रुटि सामने आती है तो ऐसे अभ्यर्थी सुधार की अंतिम दिनांक तक संबंधित त्रुटि को एम.पी. ऑनलाईन द्वारा प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिये निर्धारित शुल्क 50 रूपये तथा जी.एस.टी. जमा कर सुधार कर सकेंगे, परंतु इसके पश्चात् भी यदि अभ्यर्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी ऑनलाईन आवेदन दी जाती है तो ऐसी स्थिति की अभ्यार्थिता निरस्त कर दी जावेगी।

12. आवेदन शुल्कः-

अनारक्षित वर्ग हेतु 1100/- (एक हजारी रूपये) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु 900/- (आठ सौ रूपये) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग संवर्ग) के लिये 1000/- (नौ सौ रूपये) राशि आनलाईन जमा होगी।

13. आवेदन कैसे करें:-

1. कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानी पूर्वक निर्देशों को पढ लें। आप निर्देश पुस्तिका प्रवेश परीक्षा लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
2. आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाईन www.mponline.gov.in की वेबसाईट उपलब्ध है।
3. आवेदन के साथ दस्तावेजों की निम्नलिखित स्कैन की गई प्रतियां उम्मीदवार द्वारा अपलोड किया जाना अनिवार्य है:-
   1. जन्मतिथि के समर्थन में हाई स्कूल परीक्षा मार्कशीट/सर्टिफिकेट/जन्म प्रमाण पत्र
   2. आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता के समर्थन में संबंधित डिग्री/डिप्लोमा/फाईनल ईयर की मार्कशीट।
   3. मध्यप्रदेश में संबंधित काउंलिस से जीवित रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
   4. फोटो पहचान प्रमाण पत्र।
   5. उम्मीदवार व नवीन फोटो एवं हस्ताक्षर।
   6. 12वी कक्षा की अंकसूची।
   7. जाति प्रमाण पत्र।

   प्रत्येक दस्तावेज फोटो एवं सिग्नेचर सहित 200KB से अधिक न हो।
4. **ऑनलाईन पत्र भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी:-**

आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाईन www.mponline.gov.in पर दिये लिंक पर उपलब्ध है। परीक्षा आवेदन फार्म ऑनलाईन मध्यप्रदेश के जिला, तहसील एवं ब्लॉक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोसकों के माध्यम से भरा जा सकता है। एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिए एम.पी.आनलाईन www.mponline.gov.in पर Authoeized Kiosk list link देखें। आवेदक इंटरनेट कैफे के माध्यम या घर बैठे स्वयं अपना ऑनलाईन फार्म भरे सकते हैं।

5. **चयन प्रक्रिया** :- अभ्यार्थियों का चयन परीक्षा में प्राप्तांकों के अनुसार मेरिट के आधार पर होगा।

6. **आवेदन शुल्कः**- आवेदन शुल्क श्रेणी अनुसार ऑनलाईन पेमेंट के माध्यम से एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर जमा किया जावेगा।

Scanned by CamScanner

7. इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि:-

- आवेदन एम.पी. ऑनलाईन www.mponline.gov.in वेबसाईट के माध्यम से होम पेज में नागरिक सेवायें ऑप्शन पर क्लिक करें फिर ड्रापडाउन से आवेदन पत्र ऑपशन से क्लिक करने के पश्चात नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल जबलपुर के लोगो पर क्लिक कर एप्लीकेशन एण्ड सर्विसेस ऑप्शन पर उपरोक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिये दी गई लिंग पर क्लिक करें।
- आवेदनक ऑनलाईन फार्म भरने से पहले विज्ञप्ति को एम.पी. ऑनलाईन www.mponilne.gov.in बेवसाईट के माध्यम से नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की वेबसाईट www.nscbmc.ac.in पर दिये गये लिंक से दी गई जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह से पढ लें। इसके उपरांत ही ऑनलाईन फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियां सही सही भरना अनिवार्य है । आवेदक को फार्मा पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन browse दिखाई देगा। जिसमें आवेदक अपना नवीन रंगीन फोटो हस्ताक्षर सहित अटैच करना है, इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो हस्ताक्षर के साथ (प्रारूप हेतु इस लिंक पर क्लिक करें) दिखाई देगा । Hyperlink को क्लिक करने पर हस्ताक्षर सहित फोटो के फार्मेट को स्केन करें Jpg. 200 kb size or minimum) फार्मेट में ही सेव करें । अब आवेदक Browes बटन पर क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में आवेदक ने आपना फोटो हस्ताक्षर स्केन कर सेव किया है उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें ।
- आवेदक ऑनलाईन फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह से पढ लें और यह सुनिश्चित कर लें कि फार्म में जो भी जानकारी भरी है वह सही है । यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई हो तो पुन: उसे ठीक करें, इसके उपरांत Submit बटन दबायें । इससे आवेदक को एक आवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा । इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए Proceed to payment बटन दबायेगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दो ऑपशन दिखाई देंगे ।

  अ. क्रेडिट/डेबिट कार्ड   ब. इंटरनेट बैंकिंग

अ. क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगातन- आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है । ऑनलाईन फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी बैंक के क्रेडिट/डेबिड कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है । आवेदक फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिये proceed to payment बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर संबंधित का पेमेन्ट गेटवे दिखाई देगा इसमें क्रेडिट/डेबिड कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कन्फर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है । आवेदक कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्राप्त होगी, जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी भी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें ।

ब. इंटरनेट माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:- आवेदक चाहे तो घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिग सुविधा से कर सकता है । इसके लिये आवेदक के पास नेट बैंकिंग सुविधा होना अनिवार्य है । आवेदक ऑनलाईन फार्म भरने के उपरांत Proceed to Payment बटन दबायेगा यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिग ऑप्शन दिखाई देगा इसे क्लिक करने पर वह अपने बैक द्वारा प्रदान यूजर आई डी पासवर्ड डालकर लागिन होगा । इस प्रक्रिया से आवेदक अपने वैंक अकांउट से शुल्क का भुगतान कर सकता है । सफलता पूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदन को स्क्रीन पर पवती नम्बर और आवेक का विवरण दिखाई देगा । इसका प्रिंट आवश्यक लें ।

8. एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि:-

आवेदक ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने के लिये अपनी नजदीकी एम.पी.ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर जावेगा । कियोस्क संचालक www.mponline.gov.in वेबसाइट ओपन कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग-इन टाईप में कियोस्क सिलेक्ट कर लॉग-इन करेगा । इसके उपरांत सिटिजन सर्विसेज में जाकर एप्लकेशन में सर्वप्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारियां आवेदक को उपलब्ध करायेगा। आवेदन इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ ले ताकि मांगी गई समस्त जानकारियां फार्म में सही से भरी जा सके। इसके उपरान्त आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारियां फार्म में सही से भरी जा सके। इसके उपरान्त आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलबध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज को फोटो अवश्य ले जावें । कियोस्क आवेदका का फोटो हस्ताक्षर स्केन कर

Scanned by CamScanner

उचित स्थान पर अटेच् करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक ऑनलाईन फार्म में समस्त जानकारियां सही-सही भरे होनपे के उपरांत ही कियोस्क संचालक को proced to payment बटन दबाकर करेगा। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को परीक्षा शुल्क नगर भुगतान करेगा। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कम्प्यूटराइज्ड रसीद आवेदक से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को ध्यानूपर्वक पढ लें तथा अपने पास संभालकर रखें

7. जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता की पूरी उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। असत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन में देने पर संबंधित आवेदक की पात्रता निरस्त की जा सकेगी।

8. यदि आवेदक के पास क्रेडिट/डेबिड कार्ड या नेटबैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भरे गये फार्म का कियोस्क के ामध्यम से Pay for Unpaid Application में उक्त जानकारियां भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरांत procced to payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक को कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक से संबंधित समस्त जानकारी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें। ऑनलाइन पेमेंट करने पर, यदि पेमेंट रिजेक्ट हो जाता हैं/ पेमेंट रसीद जेनरेट नहीं हो रही हैं तो तत्काल पुन: पेमेंट कर रसीद जनरेट कर सुरक्षित रखें। पेमेंट के अभाव में आवेदन स्वत: निरस्त हो जायेगा। ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे जिन्हें ऑनलाईन भरने के बाद प्रिन्ट लेकर एम.पी. ऑनलाइन के पास डॉक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जायेगा। परीक्षा शुल्क के लिये किसी भी प्रकार का बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जावेगी।

नोट:- यदि आपको ऑनलाइन फार्म भरने में कोई समस्या आती हैं तो नीचे दर्शाये गये दूरभाष नम्बर पर तत्काल संपर्क करें एवं समस्या का समाधान न होने पर एम.पी. ऑनलाइन के होमपेज पर संपर्क करें में क्लिक करें तथा शिकायत विकल्प में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड तीसरा फ्लोर स्टेट आई.टी. पार्क अब्बास नगर निगर आरजीपीवी, गांधी नगर भोपाल-462003, फोन:- 0755 6720200 / 0755-6720222 पर संपर्क करें।

09. महत्वपूर्ण टीप:-

यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे नेताजी सुभाषचंद्र बोस, मेडिकल कॉलेज जबलपुर की वेबसाईट www.nscbmc.ac.in का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे एव महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों पर ध्यान देवें। इस संबंध में नेताजी सुभाषचंद्र बोस, मेडिकल कॉलेज जबलपुर की कोई जवाबदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय-समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशें का अवलोकन करने में असफल होता है तो इसकी दावेदारी मान्य नही की जावेगी। साथ ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सही भरा जाना चाहिए एवं किसी भी जानकारी को छिपाया नहीं जाना चाहिए। यदि भविष्य में पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार का चयन उसके द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी के आधार पर हुआ, तो ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी एवं तदानुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(डॉ. पी.के. कसार)
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर

Scanned by CamScanner